E.D.S.

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3337 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, फरवरी 09 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की वीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50हे0 वनभूमि 30वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन सम्बन्धित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/माइन्स/24551/2017 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या– 2492/रेनुकूट/15–257 दिनांक 28.01.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये प्रस्ताव में ऑन लाईन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का अभाव पाया गया।

1– प्रश्नगत परियोजना में कुल 14000 हजार वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–15 पर उल्लेख है जबकि ऑन लाईन भाग–2 में 5932 वृक्षों का उल्लेख है।

2– प्रश्नगत परियोजना हेतु 30.50हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष 61.00हे0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1428/11–सी दिनांक 16.12.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संलग्न नहीं है।

3– प्रश्नगत परियोजना में संलग्नक वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र का प्रमाण पत्र भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–।।/ Mise/618/2010-17/ U.P. Raj/ delhi/ 111/1448 दिनांक 12.01.2021 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।

4– परियोजना में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दु की उल्लिखित कमियों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

सं0:- मूल प्रस्ताव - 5 3855

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर